संख्या :3154/जी0एस0(शिक्षा)/A3-54/2018

प्रेषक,

स्वाति एस0 भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड देहरादून, दिनांक 03 अप्रैल, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के पत्र संख्या : 450, दिनांक 26.07.2023 एवं पत्र संख्या 1017, दिनांक 10.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **वासुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, लामाचौड, हल्द्वानी, नैनीताल को बी0ए0–एल0एल0बी0 एवं एल0एल0बी0 पाठ्यक्रमों हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** मा0 कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
01	वासुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, लामाचौड, हल्द्वानी, नैनीताल।	बी0ए0–एल0एल0बी0 (पंचवर्षीय)	120 सीट	2020–21, 2021–22 एवं 2022–23
		एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)	120 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024–25 के अन्त तक संस्थान से प्राभूति राशि यू0जी0सी0 विनियम एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा, विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2024–25 से अग्रेत्तर सत्र का प्रस्ताव प्राभूति सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की दशा में ही मा0 कुलाधिपति सचिवालय को अग्रसारित करें, प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में शैक्षिक सत्र 2024–25 से अग्रेत्तर

File No. RB-EDUC02/612/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 1098)
Generated from eOffice by MANJEET SINGH, RO-MS, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 04/04/2025 10:38 am

सत्रों के प्रस्ताव पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

- विश्वविद्यालय, संस्थान में व्याख्यान कक्ष मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,

Signed by
Swati Srivastava Bhadauria
Date: 03-04-2025 17:39:31

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या : 3154(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-54/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 03-04-2025 18:00:36

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।